आयातित माल के 'मूल स्थान के नियम' लागू करने की व्यवस्था तय

नई दिल्ली, 23 अगस्त (भाषा)।

खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों का आयात रोकने और एफटीए में भागीदार देश के जरिए किसी तीसरे देश के उत्पादों की डंपिंग को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। नए नियम 21 सितंबर, 2020 से लागू होंगे।

सरकार ने मुक्त व्यापार करार (एफटीए) के तहत आयातित उत्पादों पर शुल्क में छूट/रियायत देने के लिए उत्पाद के 'मूल स्थान के नियमों' पर अमल की नई व्यवस्था तय की है।

खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों का आयात रोकने और एफटीए में भागीदार देश के जरिए किसी तीसरे देश के उत्पादों की डंपिंग को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। राजस्व विभाग ने सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के लिए उत्पत्ति नियमों के प्रशासन) नियम, 2020 को अधिसूचित कर दिया है। ये नियम 21 सितंबर, 2020 से लागू होंगे। इसमें कहा गया है कि ये नियम भारत में आयातित उन उत्पादों पर लागू होंगे, जिन पर आयातक व्यापार समझौते के तहत शुल्क में छूट या रियायत का दावा करेंगे।

इन प्रावधानों के तहत जिस देश ने भारत के साथ एफटीए किया है, वह किसी तीसरे देश के उत्पाद को सिर्फ लेबल लगाकर भारतीय बाजार में डंप नहीं कर सकता। उसे संबंधित उत्पाद को भारतीय बाजार में निर्यात करने के लिए एक निर्धारित मूल्यवर्धन करना होगा। उत्पाद के मूल स्थान या उत्पादन की मूल जगह के नियमों से देश में उत्पादों की डंपिंग को रोकने में मदद मिलेगी। भारत ने जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और आसियान के सदस्यों सहित कई देशों के साथ मुक्त व्यापार करार किया है। इस तरह के समझौतों में दो व्यापारिक भागीदार देश आपसी व्यापार वाले उत्पादों पर आयात/सीमा शुल्क को उल्लेखनीय रूप से घटा देते हैं या पूरी तरह हटा देते हैं।

अधिसूचना के अनुसार व्यापार करार के तहत तरजीही शुल्क दर के दावे के लिए आयातक या उसके एजंट को बिल जमा कराते समय यह घोषणा करनी होगी कि संबंधित उत्पाद तरजीही शुल्क दर के लिए पात्र है। उसे संबंधित उत्पाद के मूल स्थान या उत्पत्ति स्थल का प्रमाणन भी देना होगा।

स्टरलाइट देगी 300 से 400 लोगों को रोजगार

नई दिल्ली, 23 अगस्त (भाषा)।

डिजिटल नेटवर्क समाधान देने वाली स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज चालू वित्त वर्ष में करीब 300 से 400 पेशेवरों की नियुक्ति करेगी। कंपनी 5-जी और वायरलेस क्षेत्र में वृद्धि व अपने सेवा कारोबार को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए नए पेशेवरों की नियुक्ति कर रही है।

कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आनंद अग्रवाल ने कहा कि कंपनी जरूरी अनुभव रखने वाले पेशेवरों के अलावा इन क्षेत्रों के लिए नए लोगों को भी नियुक्त करेगी।

अभी पुनरुद्धार के संकेत का ज्यादा मतलब निकालना ठीक नहीं : सुब्बाराव

नई दिल्ली, 23 अगस्त (भाषा)।

रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने कहा है कि देश की वृद्धि की अल्पकालिक और मध्यावधिक संभावनाएं अभी धुंधली हैं। पूर्णबंदी के बाद जो आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, उसको लेकर सरकार को ज्यादा मतलब नहीं निकालना चाहिए। जो सुधार के संकेत दिख रहे हैं, वे यंत्रवत हैं (बिना किसी प्रयास के) हैं।

वैश्विक स्तर पर कोविड-19 महामारी के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति संकटपूर्ण बनी हुई है। कोविड-19 संकट से पहले वास्तविक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर 7 फीसद थी जो 2018-19 में घटकर 6.1 फीसद और 2019-20 में 4.2 फीसद पर आ गई। सुब्बाराव ने एक बातचीत में कहा कि जिन आर्थिक पुनरुद्धार के संकेतों का जिक्र हो रहा है, उसका ज्यादा मतलब नहीं निकालना चाहिए। पूर्णबंदी के दौरान आर्थिक गतिविधियों की तुलना में जो सुधार है, वह यंत्रवत है। भारतीय अर्थव्यवस्था की अल्पकालिक व मध्यकालिक संभावनाएं अभी धुंधली हैं।

मध्यम अवधि में वृद्धि संभावना के बारे में आरबीआइ के पूर्व गवर्नर ने कहा कि जब से कोविड-19 संकट सामने आया है, अर्थव्यवस्था समस्या में है। उन्होंने कहा कि जब यह संकट खत्म होगा, ये समस्याएं काफी बड़ी होने जा रही हैं। राजकोषीय घाटा बहुत अधिक होगा। कर्ज का बोझ बढ़ेगा और वित्तीय क्षेत्र की स्थिति खराब होगी।

विदेशी निवेशकों ने अगस्त में अब तक किया 41,330 करोड़ का निवेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त (भाषा)।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) का भारत जैसे उभरते बाजारों को लेकर रुख सकारात्मक बना हुआ है। उन्होंने भारतीय बाजार में अगस्त में अब तक शुद्ध रूप से 41,330 करोड़ रुपए का निवेश किया है। वैश्विक बाजारों में अतिरिक्त नकदी के साथ भारत जैसे उभरते बाजारों में निवेश बढ़ रहा है।

डिपोजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी निवेशकों ने तीन अगस्त से 21 अगस्त के बीच शेयर बाजारों में 40,262 करोड़ रुपए और बांड बाजार में 1,068 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया। इससे पहले, एफपीआइ पिछले दो महीने शुद्ध लिवाल रहे थे। उन्होंने शुद्ध रूप से जुलाई में 3,301 करोड़ और जून में 24,053 करोड़ रुपए का निवेश किया था।

मॉर्निंगस्टार इंडिया के एसोसिएट निदेशक (शोध प्रबंधक) हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि वैश्विक बाजारों में अतिरिक्त नकदी उपलब्ध है। इसका कारण कई केंद्रीय बैंक कोरोना महामारी से निपटने और संकट में घिरी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए आक्रामक तरीके से प्रोत्साहन उपाय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका अतिरिक्त मुद्रा की छपाई भी कर रहा है। अतिरिक्त नकदी के साथ निवेशक भारत जैसे उभरते बाजारों में निवेश कर रहे हैं। श्रीवास्तव के अनुसार एफपीआइ भारत जैसे उभरते बाजारों पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि इन बाजारों का प्रदर्शन अच्छा है और भविष्य में बेहतर रिटर्न की संभावना है।

शीर्ष सात कंपनियों की बाजार पूंजी 67,622 करोड़ बढ़ी

नई दिल्ली, 23 अगस्त (भाषा)।

देश की शीर्ष 10 मूल्यवान कंपनियों में से सात के बाजार पूंजीकरण में पिछले सप्ताह 67,622.08 करोड़ रुपए का बढ़ोतरी हुई।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक और आइटीसी लाभ में रहीं जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस और भारती एअरटेल के बाजार मूल्यांकन में गिरावट दर्ज की गई।

एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण पिछले सप्ताह 28,183.55 करोड़ उछलकर 5,97,051.15 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। आइसीआइसीआइ बैंक का बाजार मूल्यांकन 21,839.67 करोड़ की वृद्धि के साथ 2,55,929.73 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। एचयूएल की पूंजी 6,848.94 करोड़ बढ़कर 5,17,641.12 करोड़ रुपए रही। कोटक महिंद्रा बैंक का बाजार पूंजीकरण 6,241.25 करोड़ बढ़कर 2,65,097.18 करोड़ रुपए पहुंच गया जबकि एचडीएफसी का बाजार मूल्यांकन 1,858.87 करोड़ मजबूत होकर 3,22,872.98 करोड़ रुपए रहा। टीसीएस का बाजार पूंजीकरण 2,157.62 करोड़ बढ़कर 8,43,611.13 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। आइटीसी की बाजार हैसियत 492.18 करोड़ मजबूत होकर 2,42,280.13 करोड़ रुपए रही। इसके विपरीत रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 20,507.97 करोड़ घटकर 13,19,705.53 करोड़ रुपए पर आ गया। भारतीय एअरटेल का पूंजीकरण 4,855.45 करोड़ घटकर 2,83,688.98 करोड़ और इन्फोसिस का बाजार मूल्यांकन 1,972.11 करोड़ कम होकर 4,04,151.80 करोड़ रुपए पर आ गया।

GLOBUS POWER GENERATION LIMITED
(Formerly known as Globus Constructors & Developers Limited)
Regd. Office: Shyam House, Plot No.3, Amrapali Circle, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan- 302021
Corporate Office: A-60, Naraina Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110028
CIN No. L40300RJ1985PLC047105
Email id: globuscdl@gmail.com
Website : www.gpgl.in

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 and 33 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company will be held on Monday, 31st day of August 2020 at 11:00 AM through virtual video conferencing, inter alia, to consider and take on record the Un-audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2020.

For Globus Power Generation Limited
Sd/-
Urmil Kakkar
(Company Secretary)

Place: New Delhi
Date: 22.08.2020

आईबीसी, 2016 के तहत ई-नीलामी बिक्री सूचना
आस्तियों की बिक्री हेतु सूचना
मैसर्स यू.वी. एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापनाधीन)
सीआईएन: U51909DL2014PTC264761
पंजीकृत कार्यालय : जेए-809, 8वीं मंजिल, डीएलएफ टॉवर-ए, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली-110026
परिसमापक का कार्यालय : राजेश कुमार गुप्ता, परिसमापक, एफ-43, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली-110095

सी.पी. सं. (आईबी)-1411(एनडी)/2019 में माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ (न्यायालय II), नई दिल्ली द्वारा आदेश सं. आई.ए. 1111/2020 दिनांक 11.03.2020 द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापन सम्पदा का भाग निर्मित करने वाली मैसर्स यू.वी. एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापनाधीन) की आस्तियों का विक्रय। यह बिक्री ई-नीलामी प्लेटफॉर्म (http://www.eauctions.co.in) के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जायेगी।

विवरण	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य (रु.)	ईएमडी राशि तथा दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि	संविदा वृद्धि राशि
खसरा नं. 55, 56, 57, ग्राम चंदूना, सोनीपत, हरियाणा पर भाड़े के परिसर में चावल मिल से सम्बन्धित संयन्त्र तथा मशीनरी	मंगलवार, 1 सितम्बर, 2020 समय : 11.00 बजे प्रातः से 2.00 बजे अप तक (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार सहित)	28,10,000/-	2,81,000/- 28 अगस्त, 2020 को 5 बजे अप. तक या इससे पूर्व	28,000/-

निरीक्षण की तिथि एवं समय: 23 अगस्त, 2020 से 28 अगस्त, 2020 (11.00 बजे पूर्वा. से 04.00 बजे अप. तक) परिसमापक की पूर्व अनुमति के साथ।
ईओआई जमा करने की अन्तिम तिथि: 28 अगस्त, 2020
बिक्री के नियम एवं शर्तें निम्न प्रकार हैं:
1. ई-नीलामी "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है", "जो भी है वहीं है आधार" तथा "उपचार रहित आधार" पर संचालित की जायेगी क्योंकि बिक्री अनुमोदित सेवा प्रदाता लिंकस्टार इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड (https://www.eauctions.co.in) के माध्यम से बिना किसी प्रकार की वारंटी तथा क्षतिपूर्ति के है।
2. संविदाएँ निर्धारित प्रारूप में परिसमापक के पास (ऑनलाइन या हार्ड कॉपी) जमा की जायेंगी। सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया के विस्तृत नियम एवं शर्तों सहित संविदा प्रपत्र वेबसाइट (https://www.eauctions.co.in) से डाउनलोड किये जा सकते हैं।
3. इच्छुक संविदाकारों द्वारा देय ईएमडी (प्रतिदेय) 28 अगस्त, 2020 को 05.00 बजे अप. तक या इससे पूर्व एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से इंडियन बैंक, इंड एमएसएमई शाखा, नई दिल्ली के खाता सं. "6890408942" तथा आईएफएससी कोड "IDIB000M175" में "यू.वी. एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड-परिसमापनाधीन" के खाते में या "यू.वी. एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड-परिसमापनाधीन" के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंक गारंटी द्वारा देय होंगी।

कोई भी क्रेता इसके लिए संविदा की जाँच करके जमा कर सकता है।
ई-नीलामी एजेंसी (लिंकस्टार इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड) की ओर से सम्पर्क व्यक्ति : श्री दीक्षित प्रजापति
ई-मेल आईडी: admin@eauctions.co.in I मोबाइल नं.: +91-7874138237
परिसमापक की ओर से सम्पर्क व्यक्ति : राजेश कुमार गुप्ता, परिसमापक
ई-मेल आईडी: rgadv21@gmail.com, uvepl.liquid@gmail.com I दूरभाष, मोबाइल नं.: + 91-9911703900

ह./-
राजेश कुमार गुप्ता
परिसमापक, यू.वी. एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड-परिसमापनाधीन
आईबीबीआई पंजी. सं.: IBBI/IPA-003/1P-N00198/2018-19/12308

तिथि: 22/08/2020
स्थान: दिल्ली

YES BANK

पंजी. एवं कार्पोरेट कार्यालय: यस बैंक लिमिटेड, वन इन्टरनेशनल सेन्टर, टावर II, 15वां तल, सेनापति बापत मार्ग, एलिफिन्स्टन (डब्ल्यू), मुम्बई-400013
CIN:L65190MH2003PLC143249, ई-मेल: communications@yesbank.in, वेब: www.yesbank.in

[नियम 8(1)] कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत यस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना यहाँ नीचे वर्णित ऋणधारक, सह-ऋणधारक/गारन्टर/मार्टगैजर को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि के साथ उस पर आगे का ब्याज तथा अन्य चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, सह-ऋणधारक/गारन्टर/मार्टगैजर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, सह-ऋणधारक/गारन्टर/मार्टगैजर्स तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 21 अगस्त, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों/सह-ऋणधारकों/मार्टगैजरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय यहाँ नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज तथा लागतों के लिये यस बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों/गारन्टर(रों)/प्रतिभूति प्रदाता(ओं) का नाम	मांग सूचना की राशि	मांग सूचना तिथि कब्जा की तिथि	प्रतिभूत परिसम्पत्तियों अचल सम्पत्तियों का विवरण
1) श्री रजनीश पराशर ("ऋणधारक एवं मार्टगैजर") 2) श्रीमती सुनीता देवी ("सह-ऋणधारक") दोनों: निवासी: ई-310, सेक्टर-15, नोएडा, गौतमबुध नगर, उत्तर प्रदेश-201301 एड्रेसी नं. 1, साथ ही: बी-15, 2रा तल, सेक्टर 64, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301	14 फरवरी, 2020 को रु. 3278493.00	15.2.2020 21.8.2020	जीएच 3/1, पार्क टाउन, एनएच-24, गाजियाबाद, उ.प्र.-201002 में स्थित "मैरिना स्युट्स" में 4थे तल पर फ्लैट नं. सी-0401, क्षेत्रफल माप 1240 वर्ग फीट का सभी भाग तथा हिस्सा।
1) श्री संतोष कुमार ("ऋणधारक एवं मार्टगैजर") 2) श्रीमती विमला देवी ("सह-ऋणधारक") दोनों निवासी: बी-265, सरस्वती एन्क्लेव, सेक्टर-10ए के निकट, गुड़गाँव, हरियाणा-122001 एड्रेसी नं. 2, साथ ही: मकान सं. 162, बड्डोपुर, रणमाऊ, जौनपुर, उत्तर प्रदेश-222139	14 फरवरी, 2020 को रु. 2646270.00	15.2.2020 21.8.2020	जीएच 3/1, पार्क टाउन, एनएच-24, गाजियाबाद, उ.प्र.-201002 में स्थित "मैरिना स्युट्स" 16वें तल पर फ्लैट नं. सी-1608, क्षेत्रफल माप 950 वर्ग फीट का सभी भाग तथा हिस्सा।
1) श्री सुकेश दूबे ("ऋणधारक एवं मार्टगैजर") 2) श्रीमती तन्वी उपाध्याय ("सह-ऋणधारक") दोनों निवासी: 624-ए-1, एफ/एफ एल/एस, गली नं. 6, गोविन्दपुरी, नई दिल्ली-110019 एड्रेसी नं. 1 साथ ही: 1161, मीरा नगर, मोरार मुरार गर्ड, ग्वालियर-474006 (म.प्र.) एड्रेसी नं. 2: साथ ही: नया संतार, रामेश्वरनाथ मंदिर के निकट, मोरार, ग्वालियर-474006 (मध्य प्रदेश)	14 फरवरी, 2020 को रु. 1967835.00	15.2.2020 21.8.2020	जीएच 3/1, पार्क टाउन, एनएच-24, गाजियाबाद, उ.प्र.-201002 में स्थित "मैरिना स्युट्स" में टावर बी में 20 वें तल पर फ्लैट नं. बी-2004, क्षेत्रफल माप 860 वर्ग फीट का सभी भाग तथा हिस्सा।

स्थान: गाजियाबाद
तिथि: 24.08.2020

यस बैंक लिमिटेड के लिये
(प्राधिकृत अधिकारी)

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

आंचलिक कार्यालय, जशोदा टावर, आखलिया चौराहा, चौपासनी रोड, जोधपुर-342004
दूरभाष संख्या : 0291-2659616/630

अचल सम्पत्तियों की ब्रिकी सूचना

(1.) निरीक्षण की तिथि 25.09.2020 (2.) धरोहर राशि और केवाईसी दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 28.09.2020 (3.) ई-नीलामी की तिथि 29.09.2020

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के तहत चल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री नोटिस, प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पढ़ा जाये।

आमजन को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता एवं जमानतदार को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित चल संपत्ति जो कि बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूति लेनदार) के पास बंधक है और जिसका बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूति लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा ले लिया गया है एवं जिसे नीचे दिये गए उधारकर्ता/जमानतदार से बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूति लेनदार) की बकाया राशि एवं ब्याज (जो निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है) की वसूली हेतु "जैसा है, जहां है" और "जो कुछ भी है" जरिये ई-नीलामी दिनांक 29.09.2020 को बेचा जायेगा। नीलामी की बिक्री ई-नीलामी पोर्टल https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp के माध्यम से नीचे दी गयी तारीख और समय पर ऑनलाईन आयोजित की जायेगी।

क्र. सं.	उधारकर्ता/जमानतदार/बंधक रखने वाले का नाम	सूचना की तारीख धारा 13 (2) के अंतर्गत और बकाया राशि	विक्रय की जा रही प्रतिभूत आस्तियों (अचल संपत्ति) का विवरण	निर्धारित आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि (ई.एम.डी.)	ई-नीलामी की तिथि और समय
1.	श्री अजय सिंह राठोड पुत्र श्री राजु सिंह (ऋणी)	02.12.2019 बकाया बैंक राशि रू. 19,78,535.70 + ब्याज + खर्चे दिनांक 02.12.2019 से	आवासीय संपत्ति प्लॉट नं. 50, खसरा नं. 275/1 ग्राम-बोरनाडा, जोधपुर (राजस्थान)	रुपये 10,35,000/-	रुपये 1,03,500/-	29.09.2020 समय दोपहर 4.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
2.	श्रीमति विनोद कंवर पत्नि श्री राजु सिंह (ऋणी)	02.12.2019 बकाया बैंक राशि रू. 19,64,811.70 + ब्याज + खर्चे दिनांक 02.12.2019 से	आवासीय संपत्ति प्लॉट नं. 49, खसरा नं. 275/1 ग्राम-बोरनाडा, जोधपुर (राजस्थान)	रुपये 10,35,000/-	रुपये 1,03,500/-	29.09.2020 समय दोपहर 3.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक

ई-नीलामी के नियम और शर्तें :- (1.) बिक्री जरिये ई-नीलामी/बोली वेबसाईट https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर होगी। (2.) इच्छुक बोलीदाताओं को वेबपोर्टल https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर अपना नाम पंजीकृत कर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा। जिसके बाद उन्हें उक्त पोर्टल पर ऑनलाईन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी। पंजीकरण प्रक्रिया में न्यूनतम दो कार्य दिवस लगते हैं, अतः पंजीकरण ई-नीलामी की तारीख से पहले ही उपरोक्त वेबसाईट पर किया जाना चाहिये। (3.) इच्छुक बोलीदाता को यह ध्यान रखना होगा कि ई-नीलामी की तारीख से कम से कम एक दिन पहले (यानी 28.09.2020 को सांय 5.00 बजे तक) धरोहर राशि का अंतरण कर दिया जाये और पुष्टि करें कि M/s MSTC लिमिटेड से संचालित उसका वॉलेट धरोहर राशि को दिखा रहा हो, इसके बिना सिस्टम बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं देगा। (4.) इच्छुक बोलीदाता को अपने पंजीकृत बैंक खाते से ऑनलाईन/ऑफलाईन प्रक्रिया (NEFT/RTGS) का उपयोग करके या ई-नीलामी पोर्टल https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर उत्पन्न चालान का उपयोग करके ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में धरोहर राशि का अंतरण करना होगा। (5.) संभावित बोलीदाता ई-नीलामी पोर्टल https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर पंजीकरण और धरोहर राशि अंतरण के सम्बंध में ट्यूटोरियल विडियो की सहायता ले सकते हैं। (6.) इच्छुक खरीददार निविदा ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा दिये गए प्रपत्र में भर सकते हैं। (7.) आरक्षित मूल्य से अधिक मूल्य की निविदा प्रस्तुत करनी होगी और बोलीदाता अपना प्रस्ताव 10,000/- रुपये के गुणांकों में आगे बढ़ाएंगे। (8.) सफल खरीददार को खरीद मूल्य का 25 प्रतिशत (धरोहर राशि को शामिल करते हुये) नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने के अगले कार्य दिवस में जमा करना होगा, शेष 75 प्रतिशत राशि बैंक द्वारा विक्रय की पुष्टि के 15 दिवस के भीतर जमा करनी होगी। असफल रहने पर सफल बोलीदाता द्वारा पूर्व में जमा की गयी राशि जब्त कर ली जाएगी। (9.) एक बार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सिस्टम में अपने निर्णय को प्रस्तुत करने के बाद असफल बोलीदाता की धरोहर राशि को उनके संबन्धित वॉलेट में स्वचालित रूप से जमा कर दिया जाएगा। बोलीदाता द्वारा धरोहर राशि की वॉलेट से बैंक खाते में पुनः प्राप्ति हेतु MSTC पोर्टल पर ऑनलाईन अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है, MSTC तीन दिनों के भीतर इस तरह के धनवापसी अनुरोध को संसाधित करेगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। (10.) बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि किए जाने के अधीन होगी। यदि उधारकर्ता / जमानतदार बैंक की सम्पूर्ण बकाया राशि नीलामी की दिनांक से पूर्व जमा कर देता है, तो बिक्री नहीं की जाएगी। (11.) संपत्ति को 'जैसा है जहां है' और 'जिस स्थिति में है, के आधार पर बेची जाएगी। इच्छुक बोलीदाता को अपने स्तर पर संपत्ति पर किसी भी प्रकार का दावा, प्रभार आदि के बारे में पूछताछ कर लेनी चाहिए तथा संपत्ति के कागजात आदि के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए। नीलामी निविदा के पश्चात किए गए किसी भी प्रकार के दावे पर बैंक द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। (12.) अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या स्थगित या बिक्री को निरस्त करने या बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय पर बिना कारण बताए बिक्री के किसी भी नियम एवं शर्तों को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार एवं विवेकाधिकार है। (13.) सफल खरीददार हस्तांतरण विलेख हेतु देय समस्त प्रभार शुल्क जैसे स्टाम्प शुल्क, निबंधन शुल्क यथा लागू वहन करेगा, जो कानून के अनुसार संबन्धित सरकार को देय है। विक्रय प्रमाण पत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम से जारी किया जाएगा। (14.) इच्छुक खरीददार संपत्ति का निरीक्षण पूर्व में सूचना देकर खुद के खर्च पर उपरोक्त दर्शित दिनांक व समय पर कर सकते हैं। संपत्ति के निरीक्षण के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया, शाखा, जोधपुर, 817 बी 1/बी 2, डालड़ा भवन, 7वी चोपसनी रोड दूरभाष 0291-2434620 से संपर्क कर सकते हैं। (15.) बिक्री सरफेसी अधिनियम / नियम 2002 के प्रावधानानुसार और उपरोक्त दर्शित के अनुसार होगी। (16.) संपत्ति की तस्वीर ई-मेल के माध्यम से अनुरोध करने पर प्रदान की जा सकती है। संपत्ति की तस्वीर प्राप्त करने के लिए सम्पर्क करें 9461866375 (17.) अधिक जानकारी के लिए प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया, एस.एम.ई.सी.सी., आंचलिक कार्यालय जोधपुर, फोन नं. 0291-2659607 से संपर्क करें। (18.) ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार है और बैंक सार्वजनिक नोटिस में किसी भी त्रुटि, गलत ठहराव या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा।

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम के अधीन प्रतिभूति आस्तियों के विक्रय की 30 दिनो की वैधानिक सूचना

एतद्द्वारा ऋणी एवं जमानतियों को नीलामी तिथि से पूर्व उक्त वर्णित बकाया राशि मय ब्याज खर्चों को भुगतान करने हेतु नोटिस दिया जाता है, जिसके अभाव में उक्त संपत्तियाँ विक्रय कर दी जायेगी तथा बकाया राशि मय ब्याज व खर्चों के वसूल की जायेगी।

दिनांक : 21.08.2020, स्थान : जोधपुर

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

यूको बैंक

अंचल कार्यालय: एनसीआर प्लाजा, द्वितीय तल, न्यू कैंट रोड, देहरादून-248001 फोन नं0: 0135-2742811

(नियम-8 (6)) अचल संपत्ति की बिक्री के लिए नोटिस

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम 2002 (सरफेसी) के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए नीलामी बिक्री सूचना सुरक्षा नियम (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के साथ पढ़ा गया।

सूचना इसके द्वारा उधारकर्ता/(ओं) और गारन्टर/(ओं) नीचे बताए गए अचल संपत्ति गिरवी करने के लिए सामान्य रूप में और विशेष रूप से जनता के लिए दिया जाता है। सुरक्षित लेनदार के लिए शुल्क लिया, जिनमें से प्रतीकात्मक कब्जे के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है। यूको बैंक (सुरक्षि लेनदार), "जहां है, जैसी है और जो कुछ भी है" **29.09.2020** को रूपये की वसूली के लिए बेचा जायेगा। **रू0 34,83,801.00 दिनांक 30.06.2020** ब्याज एवं अन्य खर्चे **दिनांक 28.02.2020** तक उसके बाद यूको बैंक के कारण, **श्री हरि कृष्ण ढौंडियाल और श्रीमती मीना ढौंडियाल** (उधारकर्ता) से सुरक्षित लेनदार के लिए। **आरक्षित मूल्य रू0 26,50,000/- और बयाना जमा राशि रू0 2,65,000/-।**

क्र. सं.	ऋणी/जमानतकर्ता के नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि के समय बकाया धनराशि (सुरक्षित ऋण)	आरक्षित मूल्य (रू0)	अग्रिम धनराशि मूल्य का 10 प्रतिशत	नीलामी की तिथि एवं समय
1.	**शाखा: शहस्त्रधारा, देहरादून ऋणी: 1.** हरि कृष्ण ढौंडियाल पुत्र महानन्द, **2.** मिना ढौंडियाल पत्नी हरि कृष्ण ढौंडियाल, निवासी: ए5बी/172बी, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058	सम्पत्ति 3 बीएचके फ्लैट स्थित फ्लोर नं0 2 भवन भूमि पर स्थित खतौनी नं0 62 खसरा नं0 570 के क्षेत्रफल 1465 वर्ग फीट, क्र0 सं0 7055, बही नं0 1, जिल्द नं0 2021, पेज नं0 345-376, दिनांक 30.07.2020 एवं सब-रजिस्ट्रार ऑफिस देहरादून पर पंजीकृत है। मौजा तरला नागल परगना परवा दून, जिला- देहरादून। **सीमायें:-** पूर्व: श्रीमती मीना ढौंडियाल की सम्पत्ति, पश्चिम: अन्य की सम्पत्ति, उत्तर: 14 फीट चौडा रास्ता, दक्षिण: मीना ढौंडियाल की सम्पत्ति, सम्पत्ति स्वामी श्री हरि कृष्ण ढौंडियाल।	**रू0 34,83,801.00** दिनांक 30.06.2019 ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 28.02.2019 तक	**रू0 26.50 लाख**	**रू0 2.65 लाख**	**दिनांक 29.09.2020** सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

बैंक को एन्कम्ब्रेन्स का पता नही का विवरण : नियम व शर्तें:-
1. बिक्री सुरक्षा नियम (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगी। बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तें निम्नलिखित वेबसाइटों/वेस पोर्टल में उपलब्ध/प्रकाशित है: **(i) https://ibapi.in/, (ii) https://mstcecommerce.com/, 2.** संपत्तियों को "जहां है, जैसी है और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जा रहा है। **3.** अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। **4.**